

तहसील लक्सर, जनपद हरिद्वार

कार्यालय उप-निबंधक लकसर।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (उत्तराखण्ड में यथा संशोधित) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-01/2016/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 वित्त अनुभाग-9 देहरादून दिनांक 02 जनवरी, 2016 द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में जनपद हरिद्वार के उप-निबंधक कार्यालय लक्सर में नगरीय, अर्द्धनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि एवं भवनों के अन्तरण हेतु न्यूनतम सर्किल दरें संलग्न सूची अनुसार निर्धारित की जाती है, जो दिनांक 04 जनवरी 2016 से प्रभावी होगी।

कार्यालय कलेक्टर हरिद्वार।

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर महानिरीक्षक निबंधन मुख्यालय महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड देहरादून।
4. जिला निबंधक हरिद्वार।
5. जिला स्टाम्प अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार।
6. सहायक महानिरीक्षक निबंधन हरिद्वार।
7. सब रजिस्ट्रार लकसर।
8. उप जिलाधिकारी, लकसर।
9. तहसीलदार, लकसर।

(जा10 अभिवक त्रिपाठी)

अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
हरिद्वार।

(हरबंस सिंह चुघ)
आई0ए0एस0
कलेक्टर, हरिद्वार।

(हरबंस सिंह चुघ)
आई0ए0एस0
कलेक्टर, हरिद्वार।
03.01.2016


तहसील लक्सर के प्रमुख मार्गों की दरें

क्र० सं०	प्रमुख मार्गों की श्रेणी	प्रमुख मार्गों के नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (₹ प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)		
			अकृषि भूमि (₹ प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय		वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया ₹ प्रति वर्ग मीटर)					
			सड़क से 50 मीटर तक	सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर तक	प्लैट (सुपर एरिया ₹ प्रति वर्ग मीटर) सड़क से 50 मीटर तक	सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर तक	दुकान/ रैस्टोरेन्ट/ कार्यालय (सड़क से 50 मीटर तक)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (सड़क से 50 मीटर तक)	दुकान/ रैस्टोरेन्ट/ कार्यालय (सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर तक)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर तक)		
1.	क	2	3	4					6	7	8	9
		(1) हरिद्वार रूडकी तिराहे से बालावाली तिराहे तक 300 मीटर आगे तक। (2) रेलवे फाटक लक्सर से सब्जी मण्डी मुख्य बाजार लक्सर का सम्पूर्ण मुख्य बाजार बसेडी रोड पर पप्पू नर्सिंग होम तक दोनो ओर और मेन बाजार लक्सर।	11300	11000	22300	22000	55600	52600	52000	50500	11000	9000
		(1) पप्पू नर्सिंग होम से लक्सरी पुलिसिया तक दोनो ओर (2) गोरधनपुर तिराहे से 300 मीटर बाद होली क्रॉस से गगनोली तक दोनो ओर (3) गोरधनपुर तिराहे से बालावाली रोड पर तहसील मोड से अकोढा मन्दिर तक दोनो ओर	9000	8500	22000	21500	51000	48000	47000	37000	11000	9000
			9300	9000	22000	21500	51600	48600	48000	46500	11000	9000
2.	ख		8600	8400	22000	21500	50200	47200	46800	45300	11000	9000

(डा० अभिषेक त्रिपाठी)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
हरिद्वार।

2.	ख	(4) रेलवे फाटक से सोसायटी रोड मोड से गन्ना समिति होते हुए बालावाली गिराहा तक दोनो ओर	9300	9000	22000	21500	51600	48600	48000	46500	11000	9000
3.	ग	(1) पुरकाजी बस स्टैन्ड से भूरना रोड होते हुए नगर पंचायत कार्यालय लक्सर के 100 मीटर आगे तक तक	5400	5000	22000	21500	43800	48800	40000	38500	11000	9000
4.	घ	(1) सेठपुर रोड पर सेठपुर ग्राम तक सेठपुर की सड़क पर सड़क के दोनो ओर 300 मीटर तक दोनो ओर। (2) लक्सर हरिद्वार मुख्य मार्ग पर टिकमपुर से कुन्हारी तक दोनो ओर (3) लक्सर मैटाडोर स्टैन्ड चौक से रुडकी की ओर थाना मोड होते हुए बहादुरपुर रेलवे फाटक तक सड़क के दोनो ओर 200 मीटर दूरी तक (मुख्य मार्ग की दरो से भिन्न दरो)	6300	6000	22000	21500	45600	42600	42600	40500	11000	9000
		(2) लक्सर हरिद्वार मुख्य मार्ग पर टिकमपुर से कुन्हारी तक दोनो ओर (3) लक्सर मैटाडोर स्टैन्ड चौक से रुडकी की ओर थाना मोड होते हुए बहादुरपुर रेलवे फाटक तक सड़क के दोनो ओर 200 मीटर दूरी तक (मुख्य मार्ग की दरो से भिन्न दरो)	6600	6200	22000	21500	46200	43200	42400	40900	11000	9000
5.	ङ	(1) सैट थॉमस स्कूल के तहसील मोड से पूर्व दिशा में जूनियर/हाईस्कूल एवं तहसील होकर रायसी मोड तक। (2) तहसील के दक्षिण घूम से इण्टर कालेज होते हुए सोसायटी तक (3) सोसायटी रोड मोड से रेल मार्ग से सटे खड्जा मार्ग पर अन्त तक (4) रेलवे फाटक से परिवम को जाने वाली सड़क जो शिवपुरी कालोनी से होते हुए वार्ड नं०-2 सतपाल की दुकान तक दोनो ओर।	5400	5000	22000	21500	43800	40800	40000	38500	11000	9000
		(2) तहसील के दक्षिण घूम से इण्टर कालेज होते हुए सोसायटी तक (3) सोसायटी रोड मोड से रेल मार्ग से सटे खड्जा मार्ग पर अन्त तक (4) रेलवे फाटक से परिवम को जाने वाली सड़क जो शिवपुरी कालोनी से होते हुए वार्ड नं०-2 सतपाल की दुकान तक दोनो ओर।	5400	5000	22000	21500	43800	40800	40000	38500	11000	9000
		(4) रेलवे फाटक से परिवम को जाने वाली सड़क जो शिवपुरी कालोनी से होते हुए वार्ड नं०-2 सतपाल की दुकान तक दोनो ओर।	4950	4500	22000	21500	42900	42900	39000	37500	11000	9000



(डा० अभिषेक त्रिपाठी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
हरिद्वार।

6.	च	(1) मेन बाजार से निकलने वाली बसेड़ी रोड ग्राम बसेड़ी तक दोनो ओर।	4800	4300	22000	21500	42600	39600	38600	37100	11000	9000
		(2) रायसी बाण गंगा पुल से गंगा तट तक (तहसील की अन्तिम सीमा तक) लक्खर रोड पर।	2500	2400	22000	21500	40200	37200	36800	35300	11000	9000
		(3) रायसी व हबीबपुर कुडी में लक्खर बालावाली रोड से रेलवे स्टेशन तक तक दोनो ओर।	5000	4500	22000	21500	43000	40000	39000	37500	11000	9000
		(4) हरिद्वार रोड पर लक्खर मोटाखोर अड्डे से ग्राम टिकमपुर की सीमा तक दोनो ओर।	5200	5000	22000	21500	43400	40400	40000	38500	11000	9000
		(1) लक्खरी पुलिसा से बहादरपुर होते हुए रुडकी रोड तक दोनो ओर	4500	4000	22000	21500	42100	39100	38000	36500	11000	9000
		(2) वार्ड नं०-2 नरोजपुर जाने वाली माल गोदाम रोड	4300	4000	22000	21500	41600	38600	38000	36500	11000	9000
7.	छ	(3) रेलवे फाटक लक्खरी से ग्राम नरोजपुर तक दोनो ओर	4200	4000	22000	21500	41400	38400	38000	36500	11000	9000
		(4) जनपदीय मार्ग से लक्खर गांव एवं नगला खिताब तिराहा पर ग्राम नगला खिताब रोड पर 300 मी० तक एवं लक्खर ग्राम की ओर 300 मी० तक	3000	2500	22000	21500	39000	36000	35000	33500	11000	9000
		(5) तहसील लक्खर में रुडकी रोड पर भरत कालोनी (थाना मोड लक्खर) सिंह एनकलेव, आदि अन्य विकसित कालोनीयाँ हेतु यही दरें प्रभावी होगी (मुख्य मार्ग की दूरी से भिन्न दूरी तक दोनो ओर	4500	4000	22000	21500	42000	39000	38000	36500	11000	9000
		(6) बहादरपुर खादर रेलवे फाटक से तहसील लक्खर की अन्तिम सीमा तक	2300	2000	22000	21500	39000	39000	35000	33500	11000	9000

20/05/16

(डा० अभिषेक त्रिपाठी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)

हरिद्वार।

7.	छ	(7) सुल्तानपुर में हरिद्वार लक्कर मार्ग से टेलीफोन एक्सचेंज होते हुए आरा मशीन तक (8) आकौला मन्दिर से खडन्ना कुतुबपुर एवं मुन्डाखेडा खुर्द होते हुए बाण गंगा पुल तक	4000	3500	22000	21500	41000	38000	37000	35500	11000	9000
8.	ज	(1) तहसील लक्कर में हरिद्वार रोड पर वसुन्धरा एनकलेव, गंगा विहार, सुखदेव एनकलेव, आदि अन्य विकसित कालोनीयाँ हेतु यही दरें प्रभावी होगी (मुख्य मार्ग की दरों से भिन्न दरें) तक दोनों ओर। (2) तहसील लक्कर में पुरकाजी रोड पर उत्तराखण्ड की सीमा तक मुखपाल इन्कलेव एवं विष्णु विहार फंस प्रथम व द्वितीय आदि अन्य विकसित कालोनीयाँ हेतु यही दरें प्रभावी होगी (मुख्य मार्ग की दरों से भिन्न दरें) तक दोनों ओर। (3) गोरखनपुर/प्रहलादपुर में पुरकाजी मार्ग व अन्य व्यावसायिक क्षेत्र (4) खानपुर ग्राम में पुरकाजी मार्ग व अन्य व्यावसायिक क्षेत्र के दोनों ओर (5) बहादरपुर खादर में बसेडा रोड पर 500 मीटर आगे तक। (6) जनपदीय मार्ग से जौसनी रोड पर जौसनी तक सड़क के दोनों ओर 200 मी० तक। (7) जनपदीय मार्ग से मौहमादपुर बुजुर्ग एवं मुबारिकपुर अलीपुर रोड पर 400 मी० तक। (8) हरिद्वार रोड से वन विभाग कार्यालय होते हुए जाने वाली सड़क पर ग्राम केहडा तक।	2200	2000	22000	21500	38000	35000	34000	33500	11000	9000
			3200	3000	22000	21500	39400	36400	36000	34500	11000	9000
			3200	3000	22000	21500	39400	36400	36000	34500	11000	9000
			3500	3000	22000	21500	40000	37000	36000	34500	11000	9000
			3500	3000	22000	21500	40000	37000	36000	34500	11000	9000
			3500	3000	22000	21500	40000	37000	36000	34500	11000	9000
			3500	3000	22000	21500	40000	37000	36000	34500	11000	9000
			2000	1800	22000	21500	37000	34000	33600	32100	11000	9000
			1800	1600	22000	21500	36600	33600	33200	31700	11000	9000
			1900	1700	22000	21500	36800	33800	33400	31900	11000	9000
			3000	2800	22000	21500	39000	36000	35600	34100	11000	9000

20.11.16

(डा० अभिषेक त्रिपाठी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
हरिद्वार।

9.	झ	(1) खुल्तानपुर आदमपुर इस्माईलपुर/पंचवली रोड पर मदरसा जन्नतु निशा ज़ो हा१० स्कूल होते हुए पंचवली घाट पर झुगरपुर रोड एवं पुरवाला बिरसापुर रोड पर 400 मी० आगे तक सडक के दोनो ओर 200 मी० तक। (2) रायसी में लक्सर बालावाली चौसाहे से हर्ष विद्या मन्दिर डिग्री कालेज से 200 मी० आगे तक सडक के दोनो ओर 200 मी० तक। (3) खानपुर में तुगलपुर रोड पर भगवान शंकर इन्टर कालेज सं 100 मी० आगे तक। (4) गोखनपुर में चौसाहे से लालचन्दवाला रोड एवं रुहालकी रोड पर 500 आगे तक सडक के दोनो ओर 200 मी० तक। (5) हुसैनपुर में जनपदीय मार्ग से हुसैनपुर तक सडक के दोनो ओर 200 मी० तक।	2000	1800	22000	21500	37000	34000	33600	32100	11000	9000
		(1) निरजानपुर में चमनलाल आदि से बीर सिंह प्रमुख के खेत तक सडक के दोनो ओर 200 मीटर तक। (2) भिककमपुर में चौसाहे से रामपुर रायघटी, फतवा व अलावलपुर एवं बाकरपुर जाने वाली सडक पर सडक के दोनो ओर 200 मीटर तक	1700	1500	22000	21500	37400	34900	33400	31500	11000	9000
10.	ञ		1700	1500	22000	21500	37400	33400	33000	31500	11000	9000

(Handwritten signature)

(जा० अभिषेक त्रिपाठी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
हरिद्वार।

(Handwritten signature)
11.06.2016

तहसील लक्सर के नगरीय क्षेत्रों की दरें

(सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्र० सं०	नगरीय क्षेत्र के मोहल्लों की श्रेणी	नगरीय क्षेत्र के मोहल्लों के नाम	अकृषि भूमि (₹ प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्यट (सुपर एरिया ₹ प्रति वर्ग मीटर)	सामान्य दर (BASE RATE)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (₹ प्रति वर्ग मीटर)	प्रथम श्रेणी (रिजिस्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
					वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया ₹ प्रति वर्ग मीटर)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान			
			3	4	5	6	7	8	
1.	क	अम्बेडकर नगर (वार्ड नं० 01)	4500	21000	39000	38400	11000	9000	
2.	ख	सीमली (वार्ड नं० 02)	6000	21000	43800	40800	11000	9000	
3.	ग	शिवपुरी (वार्ड नं० 03)	5500	21000	44000	41000	11000	9000	
4.	घ	लक्सरी (वार्ड नं० 04)	5200	21000	40400	39500	11000	9000	
5.	ङ	आदर्श कालोनी (वार्ड नं० 05)	5100	21000	40400	39500	11000	9000	
6.	च	मेन बाजार (वार्ड नं० 06)	10000	21000	53000	50000	11000	9000	
7.	छ	लक्सर पूर्वी (वार्ड नं० 07)	4100	21000	36700	35000	11000	9000	
8.	ज	आजाद नगर(वार्ड नं० 08)	5000	21000	42800	39800	11000	9000	
9.	झ	केशव नगर (वार्ड नं० 09)	6000	21000	45000	42000	11000	9000	

(ज० अभिषेक त्रिपाठी)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
हरिद्वार।

तहसील लक्सर के अर्द्धनगरीय क्षेत्रों की दरें

(सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्र० सं०	अर्द्धनगरीय क्षेत्र के मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	अर्द्धनगरीय क्षेत्र के मोहल्लों / राजस्व ग्रामों के नाम	सामान्य दर (BASE RATE)					गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (₹ प्रति वर्ग मीटर)	
			कृषि भूमि (₹ प्रति हैक्टेयर लाख में)	अकृषि भूमि (₹ प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया (₹ प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया ₹ प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / शैस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	क	(1) केहड़ा	2600000	2200	16000	35900	34400	11000	9000
		(2) अकौड़ा औरगजोबपुर	2700000	2500	16000	36200	34700	11000	9000
		(3) शंखपुरी	3000000	3000	16000	36700	35200	11000	9000
		(4) लक्सर	3500000	2500	16000	36500	35000	11000	9000
		(5) सीमली	3500000	2500	16000	35800	34300	11000	9000
		(6) नसरुल्लापुर	3000000	2100	16000	35700	34200	11000	9000
		(7) बसेड़ी खादर	2500000	2400	16000	36300	34800	11000	9000
		(8) लकसी	3000000	2400	16000	36300	34800	11000	9000
2.	ख	(1) बहादुरपुर खादर	3000000	2400	16000	35000	35000	11000	9000
		(1) सलेमपुर बककाल	3000000	3000	16000	35900	34400	11000	9000
3.	ग	(1) नरोजपुर	2050000	1200	16000	33900	32400	11000	9000
		(2) मुटकाबाद	2050000	1200	16000	33900	32400	11000	9000
4.	घ	(1) पुन्हेरपुर चर्क पीपली	2400000	1100	16000	33700	32200	11000	9000
		(2) रायपुर	2500000	1250	16000	34000	32500	11000	9000
5.	ङ	(1) नगला खिताब	2500000	1100	16000	33700	32200	11000	9000
		(2) सेठपुर	2000000	900	16000	33700	32200	11000	9000
6.	च	(1) नगला खिताब	2500000	1100	16000	33700	32200	11000	9000
		(2) सेठपुर	2000000	900	16000	33700	32200	11000	9000

10/05/2016

(डा० अभिवेक त्रिपाठी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
हरिद्वार।

तहसील लक्सर के ग्रामीण क्षेत्रों की दरें

(सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्र० सं०	ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्रामों की श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्रामों के नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						मैर वाणिज्यिक निर्माण की दर	
			कृषि भूमि (₹ प्रति हैक्टेयर लाख में)	अकृषि भूमि (₹ प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्यट (सुपर एरिया (₹ प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया ₹ प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / शैस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
1	क	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.		(1) इदरीशपुर	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000	
		(2) बादशाहपुर	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000	
		(3) चखेरी	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000	
		(4) कलसिया	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000	
		(5) माजाबेला	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000	
		(6) चन्द्रपुरी खादर	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000	
		(7) शेरपुर बेला	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000	
		(8) मिहवावाली	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000	
		(09) दूधला	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000	
		(10) कवलपुर	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000	
		(11) दलवावाला	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000	
		(12) शीवरहेडी	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000	
		(13) बानूवाला,	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000	

11/08/2018

(जा० अभिवेक त्रिपाठी)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)

हरिद्वार।

1.	क	(14) मुजफरपुर गुजरा जदीद	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000		
		(15) फतवा अहतमाल	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000		
		(16) गंगादापुर अहतमाल	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000		
		(17) गंगादापुर मुस्तहकम	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000		
		(18) सहीपुर	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000		
		(20) मदारपुर	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000		
		(21) आलमपुर	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000		
		(22) याहियापुर	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000		
		(23) शाहपुर	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000		
		(24) रुहालकी	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000		
		(25) इबाहिमपुर	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000		
		(26) करनपुर	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000		
		(29) रघुनाथपुर उर्फ बालावाली	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000		
		(30) मंसूरपुर उर्फ कपुरी	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000		
		(31) शेरपुर बेला महाजी हिरदेरामपुर	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000		
		2.	ख	(1) मथाना	800000	1300	14000	23000	20000	11000	9000
				(2) पौडोवाली	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000
				(3) जसपुर रणजीतपुर मुस्तहकम एवं अहतमाल	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000
				(4) महाराजपुर खुर्द	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000
				(5) शिवपुरी मुस्तहकम एवं अहतमाल	800000	1200	14000	23000	20000	11000	9000
		3.	ग	(1) फतवा मु०	800000	1500	14000	23000	20000	11000	9000
				(2) रामपुर रायघटी मुस्तहकम एवं अहतमाल	800000	1350	14000	23000	20000	11000	9000
				(3) मुजफरपुर गुजरा	850000	1350	14000	23000	20000	11000	9000
				(4) बरमपुर	850000	1350	14000	23000	20000	11000	9000

01-07-2016

(डा० अभिषेक त्रिपाठी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)

हरिद्वार।

3.	ग	(28)असगरपुर	850000	1350	14000	23000	20000	11000	9000
		(29)बालवदवाला	850000	1350	14000	23000	20000	11000	9000
		(30)घर्मपुर	1200000	1350	14000	23000	20000	11000	9000
		(31)अकबरपुर माजरी	850000	1350	14000	23000	20000	11000	9000
		(32)खडौली	850000	1350	14000	23000	20000	11000	9000
		(33)मलकपुर	850000	1350	14000	23000	20000	11000	9000
		(34)कुआखेडा अह0	850000	1350	14000	23000	20000	11000	9000
		(35)लादपुर कलां अह0	850000	1350	14000	23000	20000	11000	9000
		(36)रसूलपुर चर्फ कंकरखाता	1200000	1350	14000	23000	20000	11000	9000
		(37)खानपुर /परगना ज्वालापुर	1200000	1350	14000	23000	20000	11000	9000
4.	घ	(38)भगतनपुर भजरा निरंजनपुर	1200000	1350	14000	23000	20000	11000	9000
		(39)जोगावाला	850000	1350	14000	23000	20000	11000	9000
		(1)पंचवली	1200000	1400	14000	23000	20000	11000	9000
		(2)अबदुल रहीमपुर	1200000	1350	14000	23000	20000	11000	9000
		(3)महतौली	1200000	1350	14000	23000	20000	11000	9000
		(4)भिककमपुर जीतपुर	1200000	1350	14000	23000	20000	11000	9000
		(5)दयालपुर	950000	1300	14000	23000	20000	11000	9000
		(6)सुतारी	1200000	1350	14000	23000	20000	11000	9000
		(7)मुसाहिबपुर	1200000	1300	14000	23000	20000	11000	9000
		(8)नैतवाला सैदाबाद	1200000	1300	14000	23000	20000	11000	9000
		(9)कानवाली राधासिंह	1200000	1300	14000	23000	20000	11000	9000
		(10)माजरी	900000	1300	14000	23000	20000	11000	9000

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
हरिद्वार।

19.10.16

4.	घ	(11)टाण्डा जलालपुर	850000	1300	14000	23000	20000	11000	9000
		(12)जैनपुर खुर्द मुस्तो एवं अहतो	1000000	1300	14000	23000	20000	11000	9000
		(13)ढाढकी ढाणा मजाहिदपुर अहतो	1100000	1300	14000	23000	20000	11000	9000
		(14)रसूलपुर बकाल मु० एवं अहतमाल	1100000	1300	14000	23000	20000	11000	9000
		(15)तुगलपुर	1200000	1300	14000	23000	20000	11000	9000
		(16)राजपुर	1200000	1300	14000	23000	20000	11000	9000
		(17)महाराजपुर कलां	900000	1300	14000	23000	20000	11000	9000
		(18)बाकरपुर	900000	1300	14000	23000	20000	11000	9000
		(19)लालचन्दवाला	1200000	1300	14000	23000	20000	11000	9000
		(20)भोवावाली	900000	1300	14000	23000	20000	11000	9000
		(21)मिर्जापुर उर्फ मोहनवाला	900000	1300	14000	23000	20000	11000	9000
		(1)रायसी	1500000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(2)हबीबपुर कुडी	1500000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(3)गोरखनपुर	1500000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(4)खानपुर / पर० गोरखनपुर	1500000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(5) निरंजनपुर	1500000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(6)जैतपुर	1200000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(7)जलाल मजरा	1000000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(8)कुडी	1000000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(9)खडी खुर्द	1000000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(10)मुण्डाखंडा कलां	1200000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
(11)सुखी चक	1000000	1600	14000	23000	20000	11000	9000		
(12)हिरनाखडी	1000000	1600	14000	23000	20000	11000	9000		

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
09-05-16

(डा० अभिषेक त्रिपाठी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
हरिद्वार।

5.	इ	(13)तिषरी	1500000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(14)फतेहपुर जुनार	1200000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(15)फतेहपुर चमार	1200000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(16)ईस्माईलपुर	1000000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(17)मुबारिकपुर	1000000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(18)भुरनीखतीरपुर	1500000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(19)दाबकी कलां	1500000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(20)बिजोपुरा	1500000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(21)डाढकी डाणा मजाहिदपुर मुस्तहकम	1500000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(22)कासमपुर निवादा मुस्तहकम	1000000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(23)कुआखेडा मु०	1500000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(24)लादपुर कलां मुस्तहकम	1000000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(25)महेषरी	1500000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(26)मखियाली खुर्द	1200000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(27)मुबारिकपुर अलीपुर	1200000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(28)रजबपुर	1200000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(29)बतकाल मुस्तहकम	1200000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(30)मखियाली कलां	1200000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(31)नसीराबाद	1200000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(32)सीधडू	1200000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(33)भूरना	1500000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(34)बसेडा खादर	1500000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(35)मौहम्मदपुर बुजुर्ग अह० एवं मुस्त०	1000000	1600	14000	23000	20000	11000	9000

28/06/16

(डा० अभिषेक त्रिपाठी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)

हरिद्वार ।


5.	ड	(36)प्रहलादपुर	900000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(37)चिडियापुर	900000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(38)अकौडा मुकरमलपुर	1000000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(1)अलावलपुर	1200000	1500	14000	23000	20000	11000	9000
		(2)खडंगा कुतुबपुर	1500000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(3)बुक्कनपुर	1500000	1500	14000	23000	20000	11000	9000
		(4)दाबकी खुर्द	1500000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(5)डौसनी	1500000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
6.	च	(6)हुसैनपुर	1500000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(7)बुडडाखडा भीमला	1500000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(8)मुण्डाखडा खुर्द	1500000	1600	14000	23000	20000	11000	9000
		(1)खडी मुबारिकपुर	1500000	1500	14000	23000	20000	11000	9000
		(2)रेथल बुजुर्ग	1500000	1500	14000	23000	20000	11000	9000
		(1)अकबरपुर उद	2500000	2000	14000	23000	20000	11000	9000
		(2)सुल्तानपुर आदमपुर	2500000	2000	14000	23000	20000	11000	9000
		(3)गगनौली	2500000	2000	14000	23000	20000	11000	9000
7.	छ								
8.	झ								

(Handwritten signature)

(डा० अभिषेक त्रिपाठी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
हरिद्वार।

(Handwritten signature)
09.10.2016

<p>कृषि / अकृषि भूमि / बहुमंजिला आवासीय भवन / पर्लैट तथा वाणिज्यिक भवन / दुकान / प्रतिष्ठान के मूल्यांकन सम्बन्धी सामान्य निर्देश :-</p>	<p>1- यद्यपि कृषि / अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणी निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि :-</p> <p>(क) कृषि / अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या</p> <p>(ख) कृषि / अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 20 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या</p> <p>(ग) कृषि / अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 30 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या</p> <p>(घ) कृषि / अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर के 30 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा।</p>
<p>2-</p>	<p>वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।</p>
<p>3-</p>	<p>शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिनमें स्वचालित यांत्रिक सीढ़ियों (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़ कर बहुखण्डीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तर्गत सम्पत्ति में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में एसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः -10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।</p>



19/11/2023

(डा० अभिषेक त्रिपाठी)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)

हरिद्वार।

4-	ऐसी दुकान / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित है, के अनुसार एवं संलग्नक खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की दो गुनी दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा।
5-	व्यवसायिक सम्पत्ति के अन्तर्गत विलेख पर सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत जोड़ कर आंकलित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी।
6-	1000 वर्ग मीटर एवं उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी।
7-	उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्र, राज्य औद्योगिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं / निगमों द्वारा अन्तर्गत परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित / अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निर्धारित किये गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जाना अनिवार्य होगा।
8-	मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख / मुख्य मार्ग के दोनों ओर स्थित समस्त नगरीय क्षेत्र / अर्द्धनगरीय क्षेत्र / ग्रामीण क्षेत्र की सम्पत्ति के अन्तर्गत विलेख पर प्रमुख / मुख्य मार्गों हेतु निर्धारित दरें प्रभावी होगी।
9-	कृषि या अकृषि भूखण्डों का वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दर उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर की दो गुनी होगी। उक्त हेतु सामान्य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर के आधार पर आंकलित दर से होगा।
10-	किरसी भी प्रकार की भूमि / आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर, उक्त भूमि / आवासीय भवन की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।
11-	बहुमंजिली आवासीय परिसर में स्थित फ्लैट / बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में मूल्यांकन हेतु सामान्य दर बहुमंजिली आवासीय परिसर / बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन के परिसर की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

19/10/2025

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
हरिद्वार।

12-	विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति के आवासीय / औद्योगिक / गैर वाणिज्यिक भवन होने की स्थिति में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्वीकृती प्राधिकारी / संस्था / विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो उसका विलेख में उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा इसके अतिरिक्त विलेख में भूखण्ड का क्षेत्रफल, कुल निर्मित क्षेत्रफल आंकित किये जाने के साथ भवन का स्वीकृत मानचित्र / मान्यता प्राप्त मानचित्रकार द्वारा निर्मित मानचित्र लगाया जाना तथा निर्माण की श्रेणी के संबंध में प्रथम श्रेणी (लिन्दरपोश) द्वितीय श्रेणी (टीनपोश) अथवा फ्लैट्स होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
13-	फ्लैट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ओनरशिप आफ फ्लैट एक्ट 1975 के अन्तर्गत परिभाषित निर्मित भवन के भाग से होगा।
14-	भूमि / सम्पत्ति के अन्तर्ण पर सर्किल दर सूची में उल्लिखित कालोनी की दशा में सम्बन्धित कालोनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार के द्वारा अन्तरित भूमि / सम्पत्ति का मूल्यांकन कालोनी / क्षेत्र की निर्धारित दरों में जो भी उच्च हो के अनुसार किया जायेगा, अन्यथा की की स्थिति में विलेख में यह उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि अन्तरित भूमि / सम्पत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कालोनियां / मोहल्लों / क्षेत्रों में स्थित नहीं है।
15-	वाणिज्यिक / अनावासीय भवनों के मूल्यांकन में कोई हास मूल्य देय नहीं होगा।
16-	भवनों की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य हास (जिसकी क्षरण सारणी संलग्न है) को आंकित किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। फ्लैटों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।
17-	वाउण्ड्री वॉल के स्थित होने पर ₹1,000.00 रनिंग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
18-	भूमि में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग का मूल्यांकन ₹22,000.00 होगा।
19-	टीनपोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।
20-	किरसी भी औद्योगिक ड्रकॉर्ड का अन्तर्ण होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट एप्रूव्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।
21-	मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग / क्षेत्र वार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थान पर निर्धारित है तो उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होगी।
22-	मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी है तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।

30-3-2014

(डा० अभिषेक त्रिपाठी)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
हरिद्वार।

मूल्यांकन सूची में नागरिकों की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित किये जाने वाले निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा :-

- (I) किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
- (II) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के 1- नगरीय क्षेत्र, 2-अर्द्धनगरीय क्षेत्र, 3-ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के संबंध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (III) विलेख में विलेख के द्वारा अंतरित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/अकृषि/आवासीय/अनावासीय/व्यवसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
- (IV) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों के प्रकार 1-दुकान, 2-रेस्टोरेन्ट, 3-कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (V) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगर पालिका खाता संख्या/बन्दोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तरित अकृषि भूमि/सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (VI) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित सड़क-सड़कों/मार्ग/मार्गों की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (VII) मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये उन भवनों से है, जहां से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 में यथा परिभाषित है।
- (VIII) पक्षकारों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ विलेख के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा जो विलेख का भाग माना जायेगा।



(डा० अभिषेक त्रिपाठी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
हरिद्वार।

25-01-19

क्षरण सारणी

1 Yrs	0.990	21	0.809	41	0.662	61	0.541	81	0.443
2	0.980	22	0.801	42	0.655	62	0.536	82	0.438
3	0.970	23	0.793	43	0.649	63	0.530	83	0.434
4	0.960	24	0.785	44	0.642	64	0.525	84	0.429
5	0.950	25	0.777	45	0.636	65	0.518	85	0.425
6	0.941	26	0.770	46	0.629	66	0.515	86	0.421
7	0.932	27	0.762	47	0.623	67	0.509	87	0.417
8	0.927	28	0.754	48	0.617	68	0.504	88	0.412
9	0.913	29	0.747	49	0.611	69	0.499	89	0.408
10	0.904	30	0.739	50	0.605	70	0.494	90	0.404
11	0.890	31	0.731	51	0.598	71	0.489	91	0.400
12	0.880	32	0.724	52	0.592	72	0.484	92	0.396
13	0.870	33	0.717	53	0.587	73	0.480	93	0.392
14	0.868	34	0.710	54	0.581	74	0.475	94	0.388
15	0.860	35	0.703	55	0.575	75	0.470	95	0.384
16	0.851	36	0.696	56	0.569	76	0.465	96	0.381
17	0.842	37	0.689	57	0.563	77	0.461	97	0.377
18	0.834	38	0.682	58	0.558	78	0.456	98	0.373
19	0.826	39	0.675	59	0.552	79	0.452	99	0.369
20	0.817	40	0.668	60	0.547	80	0.447	100	0.366

9/11/2019

(Handwritten signature)

(जा० अभिवेक त्रिपाठी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
हरिद्वार।